न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 21/2021 (2021/53)

अपीलार्थीगण :—

1. श्याम सिंह पुत्र स्व0 भंवरलाल
2. जय सिंह पुत्र स्व0 भंवरलाल
3. विजय सिंह पुत्र स्व0 भंवरलाल
4. केसु सिंह पुत्र स्व0 भंवरलाल
5. छगन सिंह पुत्र स्व0 भंवरलाल
6. बलवीर सिंह पुत्र स्व0 भंवरलाल
7. चेतन सिंह पुत्र स्व भंवरलाल
   जातियान् माली, निवासीगण — बड़ला बेरा, फुलबाग के पास, मण्डोर, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :—

1. हेम सिंह पुत्र स्व0 गणपत सिंह
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 गणपत सिंह
3. नरपत सिंह पुत्र स्व0 गणपत सिंह के कायम मुकाम
   3/1. ललिता पत्नी स्व0 नरपत सिंह
   3/2. निहाल पुत्र स्व0 नरपत सिंह
   3/3. नवदीप पुत्र स्व0 नरपत सिंह
   समस्त जातियान् माली, निवासीगण — गोपी का बेरा, मण्डोर, तहसील व जिला जोधपुर।
4. रमेश पुत्र स्व0 गोपाल सिंह
5. रविन्द्र पुत्र स्व0 गोपाल सिंह
6. विक्रम पुत्र स्व0 गोपाल सिंह
7. कैलाश पुत्र स्व0 गोपाल सिंह
8. श्रीमती गुलाब देवी पत्नी स्व0 गोपाल सिंह
   सभी जातियान् माली, निवासीगण — बड़ले वाला बेरा, फूलबाग के पास, मण्डोर, जोधपुर।
9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।
10. श्रीमती सरोज पत्नी अर्जुनसिंह देवड़ा, जाति माली, निवासी गोपी का बेरा, मण्डोर,जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2151 दिनांक 28.12.2020 ग्राम मण्डोर द्वितीय जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

————

उपस्थिति :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:58 IST
Reason: SelfAttested

1. अधिवक्ता श्री स्वर्ण सिंह चम्पावत (अपीलार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री के0 सी0 [illegible] (प्रत्यर्थी संख्या 01 ता 03 तथा 10)।
3. अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह शेखावत (प्रत्यर्थी संख्या 04 ता 07)।
4. प्रत्यर्थी संख्या 08 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

—: <u>आदेश</u> :— दिनांक :— 06.04.2023

अपीलार्थीगण ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2151 दिनांक 28.12.2020 ग्राम मण्डोर द्वितीय जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 तथा 10 की ओर से अधिवक्ता श्री के0 सी0 पीतावत, प्रत्यर्थी संख्या 02 से 07 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह शेखावत तथा प्रत्यर्थी संख्या 08 की ओर से अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र दाधीच ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 के अधिवक्तागण की बहस दिनांक 13.02.2023 को सुनी गई। प्रत्यर्थी संख्या 08 के अधिवक्ता ने दिनांक 13.02.2023 को बहस हेतु समय चाहा। न्यायहित में समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 15.02.2023 को रखी गई। अधिवक्तागण द्वारा दिनांक 15. 02.2023 को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करने से पेशी इल्तवा होकर दिनांक 22.03.2023 को वास्ते बहस रखी गई। प्रत्यर्थी संख्या 08 के अधिवक्ता दिनांक 22.03.2023 को अनुपस्थित रहने के कारण न्यायहित में अंतिम अवसर प्रदान किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस अज तरफ प्रत्यर्थी संख्या 08 दिनांक 27.03. 2023 को रखी गई। प्रत्यर्थी संख्या 08 के अधिवक्ता तारीख पेशी दिनांक 27.03.2023 को उपस्थित हुए तथा बहस के लिए समय चाहा। प्रत्यर्थी संख्या 08 के अधिवक्ता को बहस हेतु पुनः समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस अज तरफ प्रत्यर्थी संख्या 08 दिनांक 28.03.2023 को रखी गई। प्रत्यर्थी संख्या 08 के अधिवक्ता तारीख पेशी दिनांक 28.03.2023 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। प्रत्यर्थी संख्या 08 के अधिवक्ता को पुनः अन्तिम अवसर देते हुए पत्रावली वास्ते बहस अज तरफ प्रत्यर्थी संख्या 08 दिनांक 05.04.2023 को रखी गई। प्रत्यर्थी संख्या 08 के अधिवक्ता दिनांक 05.04.2023 को भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस अज तरफ प्रत्यर्थी संख्या 08 व आदेश दिनांक 06.04.2023 को रखी गई। प्रत्यर्थी संख्या 08 के अधिवक्ता को तारीख पेशी दिनांक 06.04.2023 को न्यायालय समय में बार—बार आवाजें दिलवाई गई। उसके उपरान्त [illegible] वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्यर्थी संख्या 08 के बहस के अवसर को बन्द करते हुए अपील का निस्तारण किया जा रहा है।

अपीलार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में बताया कि प्रार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.01.2021 को तब हुई जब प्रार्थीगण के द्वारा अपनी पुश्तैनी भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की तो प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि दिनांक 28.12.2020 को उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाकर गंगाराम जी के स्थान पर केवल शांति देवी का ही नाम दर्ज कर लिया गया। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार जोधपुर को फौतेदगी नामान्तरणकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया गया परन्तु तहसीलदार द्वारा नामान्तरणकरण स्वीकृत नहीं किया गया तत्पश्चात् कोरोना काल के कारण लॉकडाउन होने से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकी। लॉकडाउन खुलने पर पुनः दिनांक 21.06.2021 को तहसीलदार से सम्पर्क किया तो उन्होने फौतेदगी का नामान्तरणकरण दर्ज करने से मना कर दिया तब प्रार्थीगण ने नामान्तरणकरण के विरुद्ध अपील पेश की। अतः अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है जो सद्भाविक होने से उसे कन्डोन कर अपील को अन्दर म्याद शुमार करने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री स्वर्ण सिंह चम्पावत ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि खसरा संख्या 412 कुल रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि ग्राम मण्डोर द्वितीय पटवार क्षेत्र मण्डोर द्वितीय, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मण्डोर, तहसील व जिला जोधपुर में आई है। उक्त भूमि पूर्व में खीवराज, गंगाराम पिसरान् रामा, नाथी बेवा, रामलाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि की सहखातेदार नाथी का कोई जायन्दा वारिस नहीं होने के कारण उनके स्वर्गवास के पश्चात उपरोक्त वर्णित खसरे की भूमि में खीवराज तथा गंगाराम प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा निहित हो गया। गंगाराम की एकमात्र संतान शांतिदेवी थी। इस कारण गंगाराम ने अपने जीवनकाल में अपने भाई खींवराज के पुत्र गोपालसिंह को गोद ले लिया। अपीलार्थीगण के दादा खींवराज एवं पिता गोपालसिंह का स्वर्गवास हो चुका है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरे में अपीलार्थीगण के दादा खीवराज एवं उनके भाई गंगाराम तथा नाथी के नाम दर्ज चले आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:58 IST
Reason: SelfAttested

शांतिदेवी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 17.05.2005 को जरिये सहमति पत्र के अपनी पुश्तैनी भूमि खसरा संख्या 1732 में से रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्राप्त कर शेष भूमियों में अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 4 से 8 के पक्ष में त्याग दिया। इस कारण खसरा संख्या 412 में शांतिदेवी का किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा निहित नहीं था उसके बावजूद भी गंगाराम पिता रामा के फौत होने पर उनके स्थन पर केवल शांति देवी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर दिया, जबकि गंगाराम के द्वारा अपने जीवनकाल में गोपालसिंह को गोद ले लिया था, इसके बावजूद भी उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया गया जो विधि विरूद्ध होने के कारण काबिले खारिज योग्य है।

अपीलार्थीपक्ष ने बहस में आगे बतलाया कि राजस्व कर्मचारियों के द्वारा न तो गंगाराम के समस्त वारिसान् की जांच की गई, न ही मौके एवं कब्जा काश्त की किसी प्रकार की जांच की गई। बिना जांच किए और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज किया गया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण ने निरन्तर बहस में बतलाया कि शांतिदेवी के द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 17.05.2005 को एक सहमति पत्र प्रत्यर्थी संख्या 4 से 8 के पक्ष में इस आशय का निष्पादित किया कि '' गंगाराम जी उनके पिता थे तथा गंगाराम के बड़े भाई खींवराज थे। गंगाराम ने खींवराज के पुत्र गोपालसिंह को विधिवत् गोद ले लिया था। इस प्रकार गंगाराम के दो वारिसान् शांतिदेवी एवं गोपालसिंह हुए। तत्पश्चात् शांतिदेवी ने अपने सहमति पत्र में यह भी सहमति दी कि गंगाराम के स्वामित्व की कृषि भूमि में से खसरा संख्या 1732 में से रकबा 01 बीघा 05 बिस्वां भूमि ही प्राप्त करेगी, शेष भूमियों पर गोपालसिंह के वारिसान् यानि प्रत्यर्थी संख्या 4 से 8 का ही मालिकाना हक एवं स्वामित्व रहेगा। उक्त तथ्य की जानकारी होने के बावजूद भी शांतिदेवी के वारिसान् ने खसरा संख्या 412 में गंगाराम के हक हिस्से की भूमि शांति देवी के नाम जरिये अपीलाधीन नामान्तरकरण के दर्ज करवा ली, जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होने के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 तथ[illegible] विद्वान अधिवक्ता श्री के0 सी0 पीतावत ने बहस में [illegible] अपील मीमो के साथ भारतीय म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible]या है परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है

कि स्वीकृत रूप से विवादित नामांतरणकरण दिनांक 28.12.2020 को मंजूर किया गया है एवं अपीलांटस ने उपर्युक्त अपील दिनांक 05.07.2021 को न्यायालय जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की है। इस प्रकार अपीलांट्स ने उक्त अपील विवादित नामांतरणकरण के स्वीकृत होने के करीब 07 माह बाद प्रस्तुत की है जबकि विधिनुसार नामांतरणकरण की प्रथम अपील के लिए 30 दिवस की म्याद निर्धारित हो रखी है। अपीलांटस ने अपने द्वारा प्रस्तुत धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में यह स्वयं स्वीकार किया है कि दिनांक 28.12.2020 को अपीलाधीन नामांतरणकरण स्वीकृत करवाया जाकर गंगाराम जी के स्थान पर शांतिदेवी का नाम दर्ज कर दिया गया है एवं उसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 25.01.2021 को हुई। अपीलांटस ने विवादित नामांतरणकरण की स्वीकृति की जानकारी दिनांक 25.01.2021 को होने के पश्चात भी करीब 06 माह की अवधि तक विवादित नामांतरणकरण को चैलेन्ज करते हुए कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जबकि इसके विपरीत अपीलांट्स ने यह कथन किया है कि दिनांक 21.06.2021 को फौतेदगी नामांतरणकरण दर्ज करने से तहसीलदार द्वारा इन्कार कर दिया गया। इस कारण अपील प्रस्तुत की जा रही है जबकि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत किया गया धारा 05 म्याद अधिनियम का यह प्रार्थना पत्र स्वयं अपने आप में ही विरोधाभासी तथ्यों को अंकित कर रहा है। विधिनुसार तयशुदा म्याद के गुजर जाने के पश्चात प्रत्येक दिवस की देरी को सुसंगत कारणों सहित माननीय न्यायालय में प्रकट किया जाना आवश्यक है परन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलांटस द्वारा अपील को प्रस्तुत किए जाने में हुई देरी को किसी भी सुसंगत कारण सहित उसकी व्याख्या नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई अपील प्रथमतः ही भारतीय म्याद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निरस्त किए जाने योग्य है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने गुणावगुण बहस में बताया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई अपील की मेरिट को यदि देखा जावें तो अपीलांट्स ने खसरा संख्या 412 कुल रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि, ग्राम मण्डोर द्वितीय, पटवार क्षेत्र मण्डोर द्वितीय, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मण्डोर, तहसील व जिला जोधपुर की भूमि को खींवराज गंगाराम पुत्रान रामा, नाथी बेवा रामलाल के नाम से दर्ज होने का कथन किया है एवं नाथी के बिना संतान के फौत हो जाने पर खीवराज व गंगाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी दर्ज होने का कथन किया है। हस्तगत प्रकरण में खींवराज फौत हो जाने पर उसका पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:58 IST
Reason: SelfAttested

भंवरलाल एवं भंवरलाल के फौत हो जाने पर अपीलांटस का वंशवृक्ष होना जाहिर किया है एवं रामा के दूसरे पुत्र गंगाराम के फौत हो जाने पर गोपालसिंह को उसका गोदपुत्र तथा शांतिदेवी को जाइन्दा पुत्री बताया है। तथाकथित गोदपुत्र गोपालसिंह के देहान्त होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 04 से 07 को उनका उत्तराधिकारी होना जाहिर किया है एवं इसी कम में अपने अपील के कथनों में सहखातेदार नाथी का कोई जाइन्दा वारिस ना होने के कारण नाथी का स्वर्गवास हो जाने के बाद विवादित खसरे की भूमि में खीवराज एवं गंगाराम का 1/2 – 1/2 हिस्सा होना जाहिर किया है और यह स्वीकार किया है कि गंगाराम जी के कोई पुत्र संतान नहीं हुई, केवल एकमात्र शांतिदेवी का जन्म हुआ, इस कारण गंगाराम ने अपने जीवनकाल में अपने भाई खींवराज के पुत्र गोपालसिंह को गोद लिया जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि स्वर्गीय गंगाराम जी द्वारा अपने जीवनकाल में ना तो गोपालसिंह को अथवा ना ही किसी अन्य व्यक्ति को गोद ही लिया गया एव ना ही उसे अपने कोई हक अधिकार दिए। यहां यह स्वीकृत स्थिति है कि गंगाराम जी के एक पुत्री शांतिदेवी का जन्म हुआ था। इस प्रकार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार श्रीमती शांतिदेवी स्व. गंगाराम की प्रथम श्रेणी की विधिक उतराधिकारिणी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह स्वीकृत स्थिति है कि स्व. गंगाराम द्वारा गोपालसिंह को गोद लिए जाने का कोई भी गोदनामे का दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं हो रखा है। विधि अनुसार रजिस्टर्ड गोदनामे के अभाव में गोदनामे को किसी भी सूरत में मान्यता नहीं दी जा सकती। हस्तगत प्रकरण में स्वीकृत रूप से श्रीमती शांतिदेवी स्व. गंगारामजी की एकमात्र उतराधिकारी थी, जिसके नाम से गंगाराम जी की मृत्यु के बाद फौतेदगी नामांतरणकरण स्वीकृत किया गया एवं इस फौतेदगी नामांतरणकरण के जरिए विधिक अधिकार उत्पन्न हुए तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही शांतिदेवी के देहान्त के पश्चात उसकी संतानों के कानूनी हक अधिकार उत्पन्न होते है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स ने केवल मात्र श्रीमती शांतिदेवी के महिला होने का नाजायज फायदा उठाने के उद्देश्य से गोपालसिंह को स्व. गंगाराम जी का गोदपुत्र बताने का प्रयास किया है जबकि वास्तव में स्व. गंगाराम जी द्वारा कभी भी गोपालसिंह को गोद लिया ही नहीं गया है। यदि गोपालसिंह को गोद लिया जाता तो निश्चित रूप से गोदन[illegible]स्टर्ड करवाया जाता एवं अंतिम कियाकर्म की प्रकिया हरिद्वार में किए [illegible] के दौरान हरिद्वार के पण्डित के रिकॉर्ड में स्व. गोपालसिंह को स्व. गं[illegible]म का गोदपुत्र दर्शाया जाता, परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:58 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट्स द्वारा ऐसा कोई रिकॉर्ड इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट्स ने अपनी अपील में दिनांक 17.05.2005 को जरिए सहमति पत्र के शांतिदेवी के द्वारा अपनी पुश्तैनी भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 04 से 08 के हक में त्याग करते हुए खसरा संख्या 1732 में से 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्राप्त करने का कथन किया है जो पूर्ण रूप से गलत एवं मनगढंत है। श्रीमती शांतिदेवी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हकतर्कनामा रेस्पोडेण्ट संख्या 04 से 08 के हक में निष्पादित नहीं किया गया है, यदि श्रीमती शांतिदेवी के द्वारा अपना हक रेस्पोडेण्ट संख्या 04 से 08 के हक में त्याग किया जाता तो निश्चित रूप से ऐसे दस्तावेज यानि हकतर्कनामे का पंजीयन करवाया जाता लेकिन अपीलांटस ने केवल एक सहमति पत्र का उल्लेख किया है, जिस सहमति पत्र पर शांतिदेवी के जो अंगुष्ठ निशान बताए गए है वे अंगुष्ठ निशान श्रीमती शांतिदेवी के अविवादित अंगुष्ठ निशानों से किसी भी सूरत में मेल नहीं खाते है जिसकी पुष्टि Hand Writing and Fingure Print Expert के द्वारा भी की गई है। इस रिपोर्ट में सहमति पत्र पर बताए गए शांतिदेवी के तथाकथित अंगुष्ठ निशानों को अविवादित निशानों से मेल नहीं होना पाते हुए सहमति पत्र पर किए हुए अंगुष्ठ निशानों को फर्जी होना जाहिर किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट्स वास्तव में अपने चाचा स्व. गंगाराम के पुत्र संतान नहीं होने एवं केवल मात्र पुत्री संतान ही होने का नाजायज फायदा उठाते हुए स्व. गंगाराम जी के हक हिस्से की भूमि को हड़प कर जाना चाहते है जिसकी विधिनुसार कतई अनुमति नहीं दी जा सकती।

प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने बहस में आगे बतलाया कि स्वीकृत रूप से यदि अपीलांटस विवादित भूमि में अपना कोई कानूनी हक अधिकार मानते भी है तथा स्व. गोपालसिंह को स्व. गंगाराम का गोदपुत्र होना मानते भी है तो इस विवाद का निस्तारण घोषणा के वाद के जरिए ही किया जा सकता है परन्तु अपीलांट्स ने हस्तगत प्रकरण में हस्तगत नामांतरणकरण अपील के जरिए अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाए जाने का प्रयास किया है जो किसी भी स्थिति में विधिनुसार माने जाने योग्य नहीं है। अपीलांट्स द्वारा अपनी इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय से यह घोषित करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि स्व. गंगाराम जी के गोदपुत्र स्व. गोपालसिंह थे जबकि कोई व्यक्ति किसी का गोदपुत्र है या [illegible] यह तथ्य केवल दिवानी न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:58 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा ही तय किया जा सकता है अथवा घोषणा की प्रार्थना के माध्यम से ही तय किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के माध्यम से बिना किसी दस्तावेजी सबूतों एवं बिना किसी सक्षम दिवानी न्यायालय की डिक्री के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि स्व. गंगाराम के स्व. गोपालसिंह गोदपुत्र थे जबकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने द्वारा पारित किए गए महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय में यह स्पष्ट दिशानिर्देश दिया है कि गोदपुत्र का विवाद तहसीलदार द्वारा तय नहीं किया जा सकता, इस विवाद को सक्षम दिवानी न्यायालय के द्वारा ही तय किया जा सकता है जो निर्णय 2012 RRT 2012(2) PAGE 1412 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अभिनिर्धारित किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट्स की अपील ना तो भारतीय म्याद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्दर म्याद है एव ना ही उक्त अपील माननीय राजस्व मण्डल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में पारित किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप ही है। अपीलांट्स ने अपनी चचेरी बहन शांतिदेवी का विवाह हो जाने के कारण उसका अपने पिता गंगाराम की संपत्ति में बनने वाले कानूनी हक अधिकार को हड़प करने के उद्देश्य से यह अपील प्रस्तुत की है जो कानूनन किसी भी सूरत में पोषणीय नहीं है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह भलीभांति स्पष्ट है कि अपीलांट्स के पक्ष में विवादित आराजी के कोई खातेदारी अधिकार होने की न तो घोषणात्मक डिक्री है ना ही स्व. गोपालसिंह का स्व. गंगाराम का गोदपुत्र होने के संबंध में कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज ही है और ना ही कोई सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की गई कोई डिक्री ही है। बहस के अन्त में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत की गई अपील खारिज करने की इस्तदुआ की।

प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 के अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह शेखावत ने भी अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता की बहस का समर्थन किया तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व धारा 5, भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थीपक्ष/प्रार्थीपक्ष ने धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रार्थना–पत्र में व्यक्त किया कि अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपनी पुश्तैनी भूमि का नामान्तरकरण दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:58 IST
Reason: SelfAttested

करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.01.2021 को हुई। फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार जोधपुर से बार–बार निवेदन करने पर वे टालमटोल करते रहे तथा उसके पश्चात लोकडाउन लगने व दिनांक 21.06.2021 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा फौतेदगी नामान्तरकरण भरने से इंकार करने पर यह अपील प्रस्तुत की गई। प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। रेस्पो0 पक्ष द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों के विरोध में कोई जवाब पेश नहीं किया, न काउन्टर शपथ–पत्र दिया। अतः न्यायहित में अपीलार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5, भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील में हुए विलम्ब को क्षमा (Condone) किया जाता है व अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है। अपीलार्थीपक्ष का अपील में मुख्य कथन है कि ग्राम मण्डोर के खेत खसरा नं0 412 रकबा 10.01 बीघा भूमि पूर्व में खींवराज, गंगाराम पिसरान् रामा, नाथी पत्नी रामलाल के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी तथा सहखातेदार नाथी के कोई जायन्दा वारिसान् नहीं होने पर उनके स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि का 1/2 – 1/2 हिस्सा खींवराज व गंगाराम में निहित हो गया। अपीलार्थीपक्ष का यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 से 8 के पिता/पति गोपालसिंह अपने जीवनकाल में गंगाराम पुत्र रामा के गोद चले गये इस बाबत् अपीलार्थीपक्ष द्वारा कोई गोदनामा के दस्तावेज पेश नहीं किये गये, न प्रत्यर्थीपक्ष संख्या 4 से 8 की ओर से कोई दस्तावेज पेश किये गये। अपीलार्थीपक्ष की यह स्वीकारोक्ति भी है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण शांतिदेवी पत्नी गणपतसिंह के नाम स्वीकृत किया जो शांतिदेवी स्व0 गंगाराम की जायन्दा पुत्री है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी RRT 2012(2) PAGE 1412 में अभिनिर्धारित किया है कि राजस्व न्यायालय एक व्यक्ति को गोदपुत्र घोषित नहीं कर सकता। चूँकि अपील एक फिस्कल प्रोसिडिंग होने से किसी पक्षकार के स्वत्व का निर्धारिण नहीं किया जा सकता है। अतः अपील में रेस्पो0 संख्या 4 से 8 के पूर्व पुरूष गोपालसिंह को स्व0 गंगाराम का गोदपुत्र घोषित नहीं किया जा सकता है। गोदपुत्र होने का रजिस्टर्ड दस्तावेज या सिविल न्यायालय द्वारा डिक्री की हुई हो इस अपील में अपीलार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं की ग

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:58 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थीपक्ष के कथनानुसार शांतिदेवी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 17.05.2005 को जरिये सहमति पत्र के द्वारा पुश्तैनी भूमि खसरा नं0 1732 में से रकबा 01.05 बीघा भूमि प्राप्त कर शेष भूमि में अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 4 से 8 के पक्ष में त्याग कर दिया। रेस्पो0 पक्ष के कथनानुसार उक्त सहमति पत्र से प्राप्त विवादग्रस्त भूमि बाबत् माननीय राजस्व मण्डल में प्रकरण विचाराधीन है। चूँकि अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासत के रूप में स्वीकृत किया गया तथ नामान्तरकरण की कार्यवाही में किसी के अधिकार तय नहीं होते है। अपीलार्थीपक्ष या प्रत्यर्थी संख्या 4 से 8 तक के अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित भूमि में हित प्रभावित होते है या स्वत्व निर्धारण करवाना चाहते है तो उन्हे सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर तय करवाना आवश्यक है। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्व0 गंगाराम की एकमात्र जायन्दा पुत्री शांतिदेवी होने से स्वीकृत किया गया, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थीपक्ष सारहीन होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख पुनः प्रेषित हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 06.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:58 IST
Reason: SelfAttested